राजस्थान संगीत नाटक अकादमो,जोधपुर
सांस्कृतिक संस्थाओं को सम्बद्धता योजना

राजस्थान में संगीत,नृत्य,नाटक व लोक कलाओं के क्षेत्र में निरन्तर व सक्रिय रूप से कार्यरत सांस्कृतिक संस्थाओं,संस्थानों व विभागों को जो प्रदर्शनात्मक कलाओं के अध्ययन, प्रशिक्षण, संरक्षण व संवर्द्धन आदि सृजनात्मक प्रवृतियां संचालित कर अकादमी के उद्देश्यों को गतिमान करते है, ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अपनी सम्बद्धता का गौरव प्रदान करती है।

नियम

1.	राजस्थान में स्थित कोई भी सक्रिय पंजीकृत सांस्कृतिक संस्था/संस्थान जो नृत्य,नाटक और संगीत के क्षेत्र में प्रशिक्षण,शोध अथवा संगठनात्मक अथवा प्रदर्शनात्मक कार्य कर रही है। सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सकती है।
2.	राजस्थान सरकार,राजस्थान के किसी विश्वविद्यालय अथवा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी नृत्य,नाट्य व संगीत विभाग या राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्रदर्शनात्मक कलाओं में सलंग्न संस्थान अकादमी से संबद्धता हेतु आवेदन कर सकता है।
3.	सभी संस्थाऐं/संस्थान जो नृत्य अथवा नाट्य अथवा संगीत के क्षेत्र में या इनमें से किसी एक में कार्यरत हो, सम्बद्धता प्रदान करने योग्य माने जायेंगे, भल उनसे अन्य संस्थाऐं/संस्थान संबद्ध हो अथवा वे स्वयं अन्य संस्थाओं /संस्थानों से संबद्ध या संबंधित हो। एक ही संस्था/संस्थान की शाखाओं को अलग से सम्बद्धता प्रदान नहीं की जा सकेंगी।
4.	संबंद्धता हेतु आवेदन करने वाली संस्था/संस्थान रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए।
5.	सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर अकादमी को निम्न दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिएः– क. संस्था/संस्थान के पदाधिकारियों की सूची। ख. संस्था/संस्थान के वेतन भोगी कर्मचारियों की सूची मय उनकी वेतन श्रृंखलाओं, भत्तों और मानदेय,आवेदन की तिथि को देय ब्यौरे साहित सेवा शर्तो की एक प्रति संलग्न करे। ग. संस्था/संस्थान के संविधान की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ रिजस्ट्रेश ऑफ सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि । घ. संस्था/संस्थान के गत वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन तक की ऑडिट रिपोर्ट , परिसम्पतियों–दायित्व विवरण की प्रतिलिपि के साथ गत दो वित्तीय वर्षो का अंकक्षित आय व्यय विवरण (ऑडिटेड एकाउण्ट) ड. संस्था/संस्थान की गत दो वर्षो की गतिविधियों की रिर्पोट। च. अनुपभोग्य (नॉन कन्ज्यूमेबल) भण्डार की सूची ।
6.	सचिव, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अन्य किसी भी जानकारी की मांग कर सकेगा और आवेदन पत्र कार्यकारी मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।
7.	कार्यकारी मण्डल आवेदन पत्र पर विचार कर साधारण सभा को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगा।
8.	कार्यकारी मण्डल द्वारा प्राप्त संस्तुतियों पर विचार कर सम्बद्धता प्रदान करेगी।
9.	उपरोक्त शर्तो के या इनमें से किसी के भी पूरी न होने पर अकादमी संस्था/संस्थान का आवेदन पत्र रद् कर सकेगी।
10.	सम्बद्धता प्रदान करना या न करना तथा इस संबंध में किसी प्रकार का निर्णय लेने का अन्तिम अधिकार अकादमी को रहेगा।